



## विचार बिन्दु

“जीवन के अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूले जो जीवन के बुरे दिनों में आपके साथ थे।”

- अरविन्द कटोच

# बढ़ती महंगाई भ्रमित आम उपभोक्ता

दे

श में आमनागरिकों को निर्माताओं की टारी से बचाने के लिए लाख प्रयास किये जाने के दबे किये जा रहे हो या देश में उपभोक्ता व्यापारियों को संजाल फैल गया हो पर निर्माता कोई ना कोई ऐसा रास्ता खोला दिया होता है कि आम नागरिक आसानी से कोई रास्ता आज खाद्य सामग्री के भावों में तेजी के बावजूद पांच-दस या बीस-तीस रुपए की पेंकिंग में अनेक बाले उत्पाद चाहे वह बिक्सुट हो या कुरुकुरे, चिप्स, मोरार या कुछ इसी तरह की सामग्री उत्पन्न हो रहे हैं कि निर्माता अपने द्वारा पेंकिंग में इसी तरह की सामग्री उत्पन्न हो रही है तो आम नागरिक समझता है कि पांच रुपए का बिस्कुट का पेंकिंग चाच रुपए में ही उत्पाद है। अब भले ही यह खाद्य सामग्री के पेंकिंग को लेकर हो या अन्य तरह की सामग्री के भावों में ही उत्पाद हो रहे हैं कि निर्माता अपने द्वारा एक बिस्कुट का पेंकिंग इतिहास के हाल बेहाल बन जाता है कि आम नागरिक समझता है कि पांच रुपए का बिस्कुट का पेंकिंग चाच रुपए में ही उत्पाद है। अब असल देखा जाए तो आप उपभोक्ता पेंकिंग में उत्पादव्य सामग्री की मात्रा पर कम भी बढ़िक कहा जाए तो ना के बाबार ध्यान देता है। ऐसे में निर्माता यह कह कर इतिहास कर देते हैं कि उनके द्वारा पेंकिंग में उत्पादव्य सामग्री के बजाए यानी कि मात्रा का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जबकि निर्माता अपने ब्रॉड या उत्पाद के तथा सूखे ग्राहकों को किसी दूसरे पांच की और जाने से रोकते के लिए दर नहीं बढ़ाकर बजाए को अधिक सलाल उपचार करता है। आम उपभोक्ता को तो पता ही नहीं होता कि पिछली बार खरीदा तब पांच रुपए के पेंकिंग वाले बिस्कुट या अन्य सामग्री में कितनी मात्रा थी और अब कितनी रह गई है।

सामग्री की मात्रा को लेकर खाद्य तेल के पाउचों को लेकर आसानी से समझा जा सकता है। जब हम किसी मॉल या उपचार की सामग्री को लेकर आसानी से समझा जा सकता है तो एक लीटर के नाम पर उत्पादव्य होने वाले अलग अलग खाद्य तेल खाड़ी होंगे की दरों में अंत देखते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि इतना अंतर कैसे हो सकता है या अमुक ब्रॉड इतना सस्ता कैसे हो सकता है। दर असल इसके पीछे जो खेल होता है वह जागरूक उपभोक्ता के अलावा कम ही लोग समझ पाते हैं। बाजार में पाउच में उत्पादव्य होने वाले खाद्य तेल की अलग मात्रा के अनुसार पेंकिंग को लाले खाद्य तेल की अलग पाउच में 840 मिली कोई 910 या 840 या कुछ इसी तरह की मात्रा में उत्पादव्य होता है। यह सब तो पता चाहता है जब उस पाउच पर लिखे करेंगे हैं जिसे देखने की ओर उपभोक्ता सामग्री की मात्रा को लेकर खाद्य तेल के पाउचों को लेकर आसानी से समझा जा सकता है। जब हम किसी मॉल या उपभोक्ता सामग्री के विक्रेता के यहां से लाले खाद्य तेल की मात्रा होनी जानकी निर्माता की निर्माता से मात्रा भरकर पाउच पर लिखा देना पर्याप्त होगा।

दरअसल आमनागरिकों को भ्रमित होने के यह छोटे छोटे कारण हैं और मजे की बात यह है कि उपभोक्ता होते हैं जो नाम से संचालित संगठनों या किसी अन्य प्लेटफॉर्म द्वारा इसको मुखरता से उत्पाद जाता है, ऐसा दिखाई नहीं देता है। यदि ऐसा हो तो समस्या का काफी हृद तक समाधान हो सकता है। आम आदीनी से लाले खाद्य तेल की मात्रा से बचाव करने का एक कारण यह है कि आम नागरिकों में बढ़ती महंगाई के बावजूद यह भ्रम बन रहे हैं कि बिस्कुट पहले भी पांच रुपए का आ रहा था और आज भी पांच रुपये का आ रहा है। इसी तरह से अन्य उत्पादों को लांबे रखने में सफल हो जाते हैं वहाँ दूसरी और दूसरी और इसके लिए गैरसरकारी संगठनों को भी मुखर होता ही होगा।

परकार का हो सकता है कि एक सोच यह भी हो कि इससे महंगाई का शोरारुल अधिक नहीं होगा।

देखा जाए तो यह हालात किसी एक वस्तु या सामग्री पर नहीं लगाये जा सकते हैं। निश्चित मूल्य वाले पाउचों पर मात्रा कम किया जाना आम बाहर है। कोई भी आम उपभोक्ता हर बार खरीद के समय मात्रा की ओर ध्यान नहीं देता और ना ही यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह सामान खरीदने से पहले उत्पादव्य को पूरी तरह से पढ़कर ही खरीदें। व्यावहारिक रूप से ऐसे संगठनों को दोहरी भूमिका निभानी होगी। पहली यह कि वे आमनागरिकों के लिए नियमित रूप से अवैयनेस कार्यक्रम संचालित करें, दूसरी और उपभोक्ता न्यायालयों या इस तरह के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता से इस तरह के मूँहों को सामने लाएं ताकि सवाल कम ज्यादा का नहीं उपभोक्ताओं के ज्यादा होने का हो जाता है। आम आदीनी को मात्रा भी नहीं देता है और इस तरह उत्पादों को लाले खाद्य तेल की जासकती है। एसे में उपभोक्ता को अवैयनेस कार्यक्रम संचालित करें तो आम आदीनी में आनी ही चाहिए। सकारात्मकों को भी यह तथा करना ही होगा कि एक लीटर के नाम से बेचे जाने वाले पाउच में 1000 मिली ही मात्रा हो ना कि पाउच पर 910 या 840 या अन्य मात्रा लिखकर निर्माता द्वारा अपना दायरित्व पूरा कर देना हो। बल्कि उन्होंने यानी कि सुनने में भले ही बड़ा अजीब लगे को 7 दिन तक सिर्फ

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

## राशिफल गुरुवार 5 दिसम्बर 2024

मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, गुरुवार, विक्रम सम्वत् 2081, उत्तराशाढ़ा नक्षत्र सायं 5.17 तक, वृद्धि योग 12.28 तक, विष्णुकरण दिन 12.50 तक, चन्द्रमा मकर राशि में संचार करेगा।

आज रविवारे योग सायं 5.27 से आरम्भ होगा। महापात योग रात्रि 8.05 से रात्रि 2.02 तक रहेगा। भद्रा दिन 12.50 तक है। आज विनायक चतुर्थी है।

श्रेष्ठ चौधिङ्गा - शुभ-सूर्योदय से 8.23 तक, चट 10.50 से 12.17 तक, लाभ-अमृत 12.17 से 2.53 तक, शुभ योग 4.11 से सूर्योस्त तक।

राहुकाल - 1.30 से 3.00 तक, सूर्योदय 7.06 सूर्योस्त 5.29



पंडित अनिल शर्मा

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान

देना ठीक रहेगा।

स्थिति

स्वास्थ्य संबंधित चिन्हों द्वारा लिखित मामलों से

धनु

व्यावसायिक कार्यों के लिए भाग-दौड़ी

रहेगी।

व्यावसायिक कार्यों के लिए आधिकारियों के लिए विदेशी भावों से संबंधित ठीक रहेगा।

धनु

व्यावसायिक कार्यों के लिए भाग-दौड़ी

रहेगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी। व्यावसायिक

कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

व्यावसायिक कार्यों में प्रतिवारे होंगी।

## फरार आरोपी गिरफ्तार

**कोटा, (निसं)** रेलवे कॉलोनी पुलिस टीम ने धोखाधड़ी एवं अन्य धाराओं में छह साल से फरार चल रहे आरोपी को भरतपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। शहर एसपी अमृता दुहुन ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस अधिकारी को तलाश के साथ सर्वाधिक राजस्थान प्रभावी को नेतृत्व में गठित टीम ने छह साल से फरार चल रहे 5 हजार के इनामी आरोपी मनीष उर्फ गजराज को भरतपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी भरतपुर में घरी के नाम से कोविंग लालित चित्तौड़ा है बताया कि करनी नगर समाज समिति में पंकज मेहता के नेतृत्व में बच्चों के बीच समारोह हूँवर के ओम बिरला का जन्मदिन मनाया गया। बच्चों को फल वितरण किया गया।

बरिष्ठ आजगा नेता पंकज मेहता

ने कहा कि ओम बिरला बचपन से ही

समस्त संवेदित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 80/2024

(नाम बदलन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री विवेक जैन पुत्र श्री प्रताप

सिंह निवासी 448 विवेकनन्द नगर कोटा

द्वारा गजराजन सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम

1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त संवेदित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 80/2024

(नाम बदलन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री विवेक जैन पुत्र श्री प्रताप

सिंह निवासी 448 विवेकनन्द नगर कोटा

द्वारा गजराजन सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम

1959 की धारा 17 (2) के अंतर्गत

प्रन्यास आजीन सार्वतीमानी समिति

(चूंकि श्री विवेक जैन पुत्र श्री प्रताप

सिंह निवासी 448 विवेकनन्द नगर कोटा

द्वारा गजराजन सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम

1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त संवेदित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 80/2024

(नाम बदलन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री विवेक जैन पुत्र श्री प्रताप

सिंह निवासी 448 विवेकनन्द नगर कोटा

द्वारा गजराजन सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम

1959 की धारा 17 (2) के अंतर्गत

प्रन्यास आजीन सार्वतीमानी समिति

(चूंकि श्री विवेक जैन पुत्र श्री प्रताप

सिंह निवासी 448 विवेकनन्द नगर कोटा

द्वारा गजराजन सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम

1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त संवेदित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 80/2024

(नाम बदलन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री प्रताप मामले में निष्कर्ष

अधिनियमित किया जायेगा।

आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे

हस्ताक्षर तथा कार्यालय की माहिर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई

की दिनांक 22.01.2025 है।

सहायक आयुक्त

देवस्थान विभाग कोटा

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान

विभाग, कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम

1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त संवेदित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 76/2024

(नाम बदलन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री प्रताप मामले में निष्कर्ष

अधिनियमित किया जायेगा।

आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे

हस्ताक्षर तथा कार्यालय की माहिर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई

की दिनांक 22.01.2025 है।

सहायक आयुक्त

देवस्थान विभाग कोटा

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान

विभाग, कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम

1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त संवेदित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 77/2024

(नाम बदलन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री खुशपाल सिंह चौहान पुत्र

श्री प्रताप मामले में निष्कर्ष

अधिनियमित किया जायेगा।

आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे

हस्ताक्षर तथा कार्यालय की माहिर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई

की दिनांक 22.01.2025 है।

सहायक आयुक्त

देवस्थान विभाग कोटा

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान

विभाग, कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम

1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त संवेदित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 77/2024

(नाम बदलन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री प्रताप मामले में निष्कर्ष

अधिनियमित किया जायेगा।

आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे

हस्ताक्षर तथा कार्यालय की माहिर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई

की दिनांक 22.01.2025 है।

सहायक आयुक्त

देवस्थान विभाग कोटा

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान

विभाग, कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम

1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त संवेदित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 77/2024

(नाम बदलन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री प्रताप मामले में निष्कर्ष

अधिनियमित किया जायेगा।

आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे

हस्ताक्षर तथा कार्यालय की माहिर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई

की दिनांक 22.01.2025 है।

सहायक आयुक्त

देवस्थान विभाग कोटा

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान

विभाग, कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम

1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त संवेदित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 77/2024

(नाम बदलन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री प्रताप मामले में निष्कर्ष

अधिनियमित किया जायेगा।

आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे

हस्त









